वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालयः-वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष/फैक्स नं0 01733-230537
e-mail- dfomorni@gmail.com

क्रमांकः- 862 दिनांकः- 29-4-2021

सेवा में:-

श्रीमति सरोज पत्नी श्री रामकुमार
गांव भूड़ी, तहसील मोरनी,
जिला पंचकूला।

विषयः- भूमि समतल करने बारे मियाद बढाने बारे।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8172 दिनांक 06.11.2020

उपरोक्त सन्दर्भांकित पत्र के समबन्ध में आप द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में वन राजिक अधिकारी, मोरनी ने अपने पत्र क्रमांक 80 दिनांक 25.04.2021 द्वारा की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट तथा आपके अनुरोध के मध्यनजर आपको गांव भूड़ी में 4 बीघा 4 बिस्वा जिसका खेवट नं0 203 खसरा नं0 362/1 तदादी 3 बीघा 0 बिस्वा व खेवट नं0 195/312, खसरा नं0 362/2 तदादी 1 बीघा 4 बिस्वा में जमीन समतल करने की अनुमति की मियाद जिसमें आप फलदार वृक्ष लगाना चाहते है। उपरोक्त परमिट में अंकित शर्तो के अनुसार दिनांक 01-5-2021 तक बढाई जाती है। इसके उपरान्त कोई भी अनुमति की मियाद नहीं बढाई जायेगी।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।

पृ0 क्रमांकः- दिनांकः-

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, मोरनी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 80 दिनांक 25.04.2021 के सन्दर्भ में भेजकर निर्देश दिये जाते है कि परमिट में अंकित 1 से 16 तक की हिदायतों के मध्यनजर, अपने क्षेत्रीय अमले की देखरेख में नियमानुसार कार्य करवाये तथा बिना अनुमति के पेड़/जड़ को उखाडने/काटने ना दिया जाये।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।

Scanned with CamScanner

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालयः-वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष/फैक्स नं0 01733-230537
e-mail- dfomorni@gmail.com

क्रमांकः- 8172 दिनांकः- 6-11-2020

सेवा में:-

श्रीमती सरोज पत्नी श्री रामकुमार,
गांव भूड़ी, तहसील व मोरनी,
जिला पंचकूला ।

विषयः- **बराये भूमि समतल करवाने बारे प्रार्थना पत्र।**

सन्दर्भः- **आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2020**

उपरोक्त सन्दर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गांव भूडी तहसील मोरनी, जिला पंचकूला के खेवट नं0 203 खसरा नं0 362/1 तदादी 3 बीघा व खेवट नं0 195/312 खसरा नं0 362/2 का वाहिद मालिक व काबिज है। प्रार्थी की जमीन उबड़-खाबड़ है जिसको प्रार्थी समतल करवाना चाहता है। प्रार्थी अपनी भूमि को समतल करके फलदार वृक्ष लगाना चाहती है। वन राजिक अधिकारी, मोरनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को भूमि समतल करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर दी जाती है:-

1. प्रार्थी को अपनी भूमि को समतल करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि प्रार्थी को दिनांक 12.11.2020 को केवल दिन के समय सुबह 10 से दोपहर 2:00 बजे तक एक जे0सी0बी0 मशीन/ट्रैक्टर का प्रयोग करेगा। (12/11/2020 4 hrs) only
2. समतल करने वाली भूमि में से कोई वृक्ष काटा नहीं जायेगा।
3. समतल करने वाली भूमि में से कोई वृक्ष काटा/हटाया जायेगा तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
4. जो भी भूमि आप समतल करेगें तो वह वन राजिक अधिकारी, मोरनी तथा वहां कार्यरत वन दरोगा/वन रक्षक की उपस्थिति में ही करेगें तथा समतल करने से पहले आपको वन राजिक अधिकारी मोरनी को सूचित करना होगा।
5. यह अनुमति भूमि को केवल कृषि योग्य बनाने हेतु समतल करने की अनुमति प्रदान की है। इस अनुमति को किसी भवन निर्माण/व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति ना समझी जाये।
6. नक्शे में दी गई भूमि से अतिरिक्त यदि कोई अन्य भूमि से छेड़छाड़ की जाती है तो अनुमति रद्द करते हुए मालिक के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
7. अपनी भूमि के अलावा साथ लगती भूमि में किसी भी तरह का सड़क या रास्ते का निर्माण नहीं करेंगे।
8. जो भी उबड़ खाबड़/उंची नीची भूमि समतल करते समय लैण्ड सलाईडिंग होती है और साथ लगती भूमि मालिको को कोई आपति होती है तो भी यह अनुमति रद्द समझी जाये।
9. मिटटी खेत/प्लाट व समतल वाले क्षेत्र/खेत/स्थान से मिटटी बाहर नही ले जाई जाएगी।
10. समतल करने वाली भूमि पर किसी भी तरह की नींव खोदने व निर्माण कार्य की अनुमति ना समझी जायें।
11. प्रस्तावित भूमि पर यदि वन्य प्राणी अधिनियम 1972, खनन अधिनियम या कोई अन्य अधिनियम लागू होता है तो जवाबदेही प्रार्थी की स्वयं होगी। उस स्थिति में यह परमिट शून्य समझा जायेगा।
12. खनन विभाग से इस सम्बन्ध में अगर कोई आपति उठाई जाती है तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार होगे।
13. यदि ग्राम पंचायत व नगर निगम द्वारा कोई आपति उठाई जाती है तो स्वीकृति रद्द समझी जाये।
14. भूमि कटाव का खतरा नही होना चाहिए।
15. उक्त शर्तो व नियमों की उल्लंघ्ना होती है तो अनुमति रदद् कर दी जायेगी।
16. भूमि समतल करते समय प्रार्थी की जमीन में अगर कोई विवाद होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा विभाग की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।

पृ0 क्रमांकः- 8173 दिनांकः- 6-11-2020

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, मोरनी को उनके पत्र क्रमांक 589 दिनांक 28.10.2019 के सन्दर्भ में निर्देश दिये जाते है कि वह उपरोक्त 1 से 16 तक की हिदायतों के मध्यनजर, अपने क्षेत्रीय अमले की देखरेख में नियमानुसार कार्य करवाये। बिना अनुमति के पेड़ काटने ना दिया जाये।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी, पिंजौर।

Scanned with CamScanner